

Topic,

(1) Theories of punishment.

Dr. Surita Kumari
Department of Philosophy
B.A Part - II Paper (S.)
A.N.D. College Shahpur
Patna, Samastipur,

Ans: प्राचीन युग से ही सामाजिक नियमों का अंग बनने वाले व्यक्ति को कष्टन किभा जाना है। कष्ट का अर्थ बुरा कष्ट पीड़ा से होता है। जिसे कानूनी प्रवधानों के

अनुसार व्यापिक निर्णय के द्वारा अपराधी व्यक्ति को कष्ट दिभा जाना है। कष्टशास्त्र में अपराधी व्यक्ति को कष्टन करने वाले विभिन्न सिद्धान्त प्रचलित रहे हैं। जिसमें प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं।

- (1) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त ।
- (2) निरोधात्मक अथवा प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त ।
- (3) सुव्यवसायिक सिद्धान्त ।

पृष्ठ.

- (4) प्राचरित का सिद्धान्त /
- (5) आदर्शवादी सिद्धान्त /

दण्ड का प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory of Punishment)

:-> दण्ड के प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त का
 मूलधार "जैसे का वैसा" है।
 टिप कर टिप (Tilt for Tilt) है।
 अपराधी को उसके द्वारा पहुँचायी
 गयी हानि के बदले में दण्ड
 प्रिभा- जाना चाहिए। सिद्धिक
 ने- ली लिखा है कि दण्ड
 की अवस्था सामाजिक सुखदा
 देतु की गई है। जर्मन दण्ड
 अवस्था में एडोल्फ के इस
 सिद्धान्त का समर्थन
 प्रिभा है। इस सिद्धान्तानुसार
 अपराधी को राज्य के द्वारा
 अपनी सामूहिक हानि में प्रदत्त
 किसी- अवधि की- अर्थात् स
 प्रिभा- गमा प्रतिशोधात्मक
 प्रतिकार है। अपराधिक- कार्य

प्रि. 10-

एक ऐसी आपत्ति है, जिसका हिसाब
 वह स्वयं भी तो होता है, इसके स्पष्ट
 हैं कि इस सिद्धान्त का प्रमुख
 आधार नैतिक आधार है।
 तथा इसके अनुसार न अच्छे कार्य
 के लिए दुबसकार तथा बुरे कार्य
 के लिए दण्ड प्रदान किया-
 जाना चाहिये।

यदि किसी व्यक्ति ने
 इससे बर्तन हुआ की है तो उसके
 प्राणदण्ड अथवा अथवा किसी
 जे इससे व्यक्ति की पत्नी या
 पुत्र की हत्या की है तो उसकी
 पत्नी या पुत्र की हत्या की
 जानी है। प्रतिशोधक अथवा प्रति कार-
 लक सिद्धान्त की प्रमुख विशेषता
 होती है कि दण्ड अपराधी अपनी
 आपराधिक कृत द्वारा इससे व्यक्ति
 के विना अधिकारी का हनन या
 अतिक्रमण किया गया है जिसका मत
 उसी प्रकार के अधिकारी से वांचित
 कर दिया जाये। दण्ड के अनुसार
 हम दण्ड इसलिए सुगत है कि धर्मसंरक्षण
 है एन.ए.ए.ए.ए.